संख्या-43/2016/261/22-2-2016-17(07)/2000

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2016

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी शमशुल कंवर पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी ग्राम-सांखनी, थाना-जहॉगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शमशुल कंवर पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी ग्राम-सांखनी, थाना-जहॉगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.02.1989 को अपने 20 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेय अस्त्रों व धारदार हथियारों से 11 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या 245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148,149,332,307 व 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बहाल रखा गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-887/1994 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04-05-1995 द्वारा बन्दी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी को जेल में दिये गये आठ अपराधों के दृष्टिगत छः जेल दण्ड दिये गये। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त गृह अवकाश पर आने के बाद से फरार है, 04 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा होने के उपरान्त पुनः कारागार में दाखिल नहीं हुआ, 10 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2015 तक 26 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहार एवं 35 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि इस घटना को लेकर ग्राम सांखनी में तनाव है। बन्दी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की थी, जो कि एक गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है बन्दी रिहा होने पर पुनः घटना घटित कर सकता है। बन्दी को यदि शासन द्वारा छोडा गया तो ग्राम सांखनी में पुनः सामूहिक हत्या हो सकती है या बन्दी की भी हत्या हो सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है। गांव में पूर्व की रंजिश के कारण बदले की भावना से किसी अप्रिय घटना के घटित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-187/2015 शमशुल कंवर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 में याची द्वारा समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में दिये गये

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रत्यावेदन को तीन माह में सकारण आदेश सहित निस्तारित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 06.11.2015 का संगत अंश निम्वत उद्धृत है:-

"Having considered the merits of the controversy raised in the instant petition, we consider it just and appropriate to dispose of the instant petition by directing respondent No.1 to consider the claim of the petitioner by treating the instant petition as the representation of the petitioner for his premature release in consonance with law. The petitioner shall forward a copy of the instant writ petition, as also a certified copy of the instant order, to respondent No.1 within three weeks from today. The representation shall be disposed of by respondent No.1, by passing a speaking order, within three months thereafter."

4- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शमशुल कंवर (बन्दी संख्या-2042/2005) पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-261/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in